प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 11

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला. चौकी,एसीबी, स्पेशल यूनिट अजमेर .....थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022:.....

प्र. इ. रि. स. 494/22 दिनांक 28/12/2022

2. (अ) अधिनियम ... भ्र0नि0अधिनियम(सशोंधन)अधिनियम 2018 .....धारायें...7 पी0सी0 एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018).....

(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. .....

(स) अधिनियम .....धारायें.....

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 554 समय 2:15 pm

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 20.10.2022 समय 03.30 पी.एम. .....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 20.10.2022 समय.....01.15 पी.एम.....

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर से उत्तर–पूर्व दिशा में करीब 40 किलोमीटर.....

(ब) पता – जूठो का बाडा पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर

.....बीट सख्या .....जरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....

6 परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम.... श्री राकेश सोनी .....

(ब) पिता का नाम श्री भैराराम सोनी.....

(स) जन्म तिथि / वर्ष साल.....30 साल.....

(द) राष्ट्रोयता.....भारतीय .....

(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....

(र) व्यवसाय..... .....आभूषण की दुकान.....

(ल) पता ... ग्राम रतकुडीया पुलिस थाना पीपाड सिटी जोधपुर .....

7 ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्रीमती सुशीला पुत्री श्री छीतरमल निवासी ढाणी खेदारो वाली ग्राम भोपतपुरा जिला सीकर हाल महिला कानि0 नं0 3050 पुलिस थाना श्रीनगर जिला अजमेर.....

8 परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

.....3,000 रू0 रिश्वत राशि.....

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....

.....3,000 रू. रिश्वत राशि .....

11 .....

विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,स्पेशल यूनिट अजमेर विषय:– रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडाने बाबत महोदय, निवेदन है कि मै श्री राकेश सोनी पुत्र श्री भैराराम जाति सोनी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम रतकुडीया पुलिस थाना पीपाड सिटी जोधपुर का निवासी हूँ। मै करीब एक माह पूर्व ग्राम लवेरा पुलिस थाना श्रीनगर मे किराए पर रहकर सोने–चांदी के आभूषण बनाने का कार्य कर रहा था। स्थानीय व्यक्ति श्री हरिराम से आभूषणो को लेकर ग्राम लवेरा मे विवाद हो जाने से मैं ग्राम डूंगरी मालपुरा जिला टोंक मे अमर सिह राजपुत के मकान मे किराए पर रहकर ग्राम मालिकपुर मे सुनारी का कार्य करने लगा। दिनांक 14.10.22 को श्रीनगर जिला अजमेर के थानेदार श्री राजाराम एवं अन्य पुलिसकर्मी मुझे वहा से पकडकर श्रीनगर थाने ले आए तथा मुझे 2 दिन हवालात मे बंद रखकर मारपीट कर मेरे से अजमेर एवं मेरी पत्नि श्रीमती माधुरी से जेवरात लेकर बरामद भी झूंठे किऐ गए। दिनांक 16.10.22 को मेरी पत्नि द्वारा निवेदन करने पर मुझे छोड दिया। छोडने के उपरान्त थाना श्रीनगर के राजारामजी एवं सुशीला महिला कानि0 मेरे से मुकदमे में कार्यवाही नहीं करने एवं छोडने की एवज में मेरे से 5,000 रू0 की रिश्वत राशि मांग रहे है तथा सुशीला कानि0 बार–बार मोबाईल पर वार्ता कर 5,000 रू0 मांग रही है। मै अपने जायज काम के बदले मे रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवांही करें। दिनांक :– 20.10.2022 प्रार्थी एसडी (राकेश सोनी) पुत्र श्री भैराराम सोनी,निवासी ग्राम रतकुडीया,पुलिस थाना पीपाड सिटी जोधपुर। मोबाईल नं0 81153–41435,91193–41435

–:: कार्यवाही पुलिस ::–

दिनांक 20.10.22 को परिवादी श्री राकेश सोनी पुत्र श्री भैराराम जाति सोनी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम रतकुडीया पुलिस थाना पीपाड सिटी जोधपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि "मै एक माह पूर्व ग्राम लवेरा पुलिस थाना श्रीनगर मे किराए के मकान मे रहकर सोने–चांदी के आभूषण बनाने का कार्य कर रहा था। ग्राम लवेरा के स्थानीय व्यक्ति श्री हरिराम से आभूषण बनवाने एवं मरम्मत कराने को लेकर हरिराम से विवाद हो जाने से मैं ग्राम डूंगरी तहसील मालपुरा जिला टोंक मे अमर सिह राजपुत के मकान मे

किराए पर रहकर ग्राम मलिकपुर मे सुनारी का कार्य करने लगा। दिनांक 14.10.22 को श्रीनगर जिला अजमेर के थानेदार श्री राजाराम एवं अन्य पुलिसकर्मी मुझे वहां से पकडकर श्रीनगर थाने ले आए तथा मुझे 2 दिन हवालात मे बंद रखकर मारपीट कर मेरे सामने नया बाजार अजमेर के श्री मुकेश कुमार सोनी की दुकान राजस्थान टंच के पास होलसेलर की दुकान पर ले गए तथा मुकेशजी से 20 ग्राम सोना व खर्चे पानी के रूप मे 8–10 हजार रूपये ले लिए तथा मुझे पुलिस थाना श्रीनगर पर लेकर आए। थाने पर लेकर आने के उपरान्त मेरी पत्नि माधुरी से जेवरात मंगवाकर झूंठे बरामद कर लिए। मेरे खिलाफ पुलिस थाना श्रीनगर मे जानकारी के मुताबिक कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। इन्होने झूंठी ही शिकायत प्राप्त कर मेरे साथ मारपीट कर मेरे स्वयं के जेवरात व रूपये मंगवाकर ले लिए है। रूपये व जेवरात प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 16.10.22 को मेरी पत्नि द्वारा निवेदन करने पर थानेदार श्री राजाराम ने मुझे छोड दिया। छोडने के उपरान्त थाना श्रीनगर के राजारामजी एवं सुशीला महिला कानि0 मेरे से मुकदमे में कार्यवाही नहीं करने एवं छोडने की एवज में मेरे से 5,000 रू0 की रिश्वत राशि मांग रहे है तथा सुशीला कानि0 बार–बार मोबाईल पर वार्ता कर 5,000 रू0 मांग रही है। मै अपने विरूद्ध शिकायत दर्ज नहीं होने के उपरान्त भी अपने जायज काम के बदले मे रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करें।" उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी श्री राकेश सोनी से उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश कुमार वर्मा द्वारा दरियाफ्त की जाकर टाईपशुदा रिपोर्ट मे अंकित तथ्यों की पुष्टि होने पर परिवादी के वाजिब कार्य के बदले मे परिवादी ने रिश्वत राशि नहीं देकर कानूनी कार्यवाही करवा रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकडवाने बाबत बताया। उक्त प्रार्थना पत्र परिवादी श्री राकेश सोनी ने अपने परिचित से टाईप करवाकर, अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना अवगत कराते हुए स्वयं को कक्षा 3 तक पढा लिखा होकर मात्र हस्ताक्षर करने की जानकारी दी। दरियाफ्त मे परिवादी ने आरोपीगण से किसी प्रकार की कोई रंजिश, द्वेषभावना अथवा उधार का लेन–देन बकाया नहीं होना अवगत कराया। परिवादी ने उक्त कार्यवाही मे अपनी पत्नि श्रीमती माधुरी को साथ होना अवगत कराते हुए कार्यवाही के दौरान उपस्थिति के बारे मे अवगत कराया गया। परिवादी श्री राकेश सोनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन करने एवं परिवादी से पूछताछ करने पर उसमे अंकित तथ्यों की पुष्टि की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के आधार पर मामला पीसी एक्ट (संशोधन) 2018 का गठित होना पाया जाने से प्रकियानुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉइस रेकार्डर निकालकर नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर परिवादी श्री राकेश सोनी को वॉइस रेकार्डर चालू व बंद करने की समझाईश की। इसी दरम्यिान आरोपिता सुशीला कानि0 के मोबाईल नं0 93589–01553 से परिवादी के मोबाईल नं0 8115341435 पर फोन आया। परिवादी से मोबाईल को रिसीव करवाकर स्पीकर ऑन करवाकर कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड संधारित करवाकर दोनो के मध्य हुई वार्ता रेकार्ड की गई, रेकार्ड वार्ता को चालु कर सुना गया तो आरोपिता द्वारा परिवादी से 5,000 रू0 की मांग करते हुए 3,000 रू0 लेना तय किया। वॉइस रेकार्डर मे दर्ज वार्ता के अनुसार आरोपिता ने 3,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 20.10.22 को लेना तय किया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के तहत स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु तहरीर जारी कर कार्यालय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर से स्वतन्त्र गवाह तलब किये गए। जिस पर (1) श्री गौरव शर्मा वरिष्ठ सहायक, (2) सुश्री किरण कंवर कनिष्ठ सहायक, कार्यालय पंजीयन एवं मुद्रांक मुख्यालय अजमेर उपस्थित आए। जिनका उपस्थित परिवादी श्री राकेश सोनी से आपस मे परिचय करवा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति प्राप्त की। डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता आरोपिता श्रीमती सुशीला कानि. व परिवादी श्री राकेश सोनी के मध्य दिनांक 20.10.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज वार्ता के मुख्य–मुख्य अंशों को चलाकर सुनाया गया तो गवाहान ने आरोपिता सुशीला कानि0 द्वारा परिवादी श्री राकेश सोनी के विरूद्ध पुलिस थाना श्रीनगर मे दर्ज मुकदमे मे कार्यवाही नहीं करने व छोडने की एवज मे 3,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग किए जाने की ताईद की एवं गवाहान द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान सम्मलित होने की अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। इसके बाद कार्यालय के श्री अर्जुन राम कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट शब्द ब शब्द तैयार की जाकर संबंधित गवाहान के हरताक्षर करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से 2 सीडियॉ तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सिल्ड कर न्यायालय हेतु तथा एक सीडी को पृथक कपड़े की थैली में सिल्ड कर आरोपी हेतु तैयार की गयी एवं अन्य शेष दूसरी सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना कराया गया तथा कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई सीडी

को शामिल पत्रावली किया गया। उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री राकेश सोनी को रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपिता सुशीला महिला कानि0 पुलिस थाना श्रीनगर जिला अजमेर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपनी जेब में से निकाल कर पांच–पांच सौ रूपये के 6 नोट कुल 3,000 रूपये की राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट प्रस्तुत किए। प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर नोटों के दोनों ओर कार्यालय के श्री सन्देश चौधरी कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को समझाया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार की जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की। परिवादी श्री राकेश सोनी को रिश्वत राशि देने के उपरान्त किये जाने वाले ईशारे के बारे में अवगत कराया गया तथा आवश्यक हिदायत बरतने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ सर्वश्री कंचन भाटी निरीक्षक पुलिस, श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश कुमार हैड कानि., श्री गोविन्द वर्मा हैड कानि0, श्री लखन कानि., श्री भरत सिह कानि., श्री अर्जुन कानि0, श्री हुकमाराम कानि0, श्री दामोदर कानि0 व स्वतन्त्र गवाह श्री गौरव शर्मा व सुश्री किरण कंवर एवं परिवादी श्री राकेश सोनी को वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी व उसकी पत्नि श्रीमती माधुरी को परिवादी की मोटरसाईकिल से तथा कार्यालय के श्री मनीष कुमार चालक के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर के बाद आवश्यक हिदायत के पुलिस थाना श्रीनगर, अजमेर की ओर रवाना हुए तथा श्री सन्देश चौधरी कनिष्ठ सहायक को कार्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान कर पुलिस थाना श्रीनगर के पास पहुॅचे। जहा उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को ईशारे से रूकवाया जाकर मोटरसाईकिल साईड मे खडी करवा परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता करायी गई तो आरोपिता सुशीला महिला कानि0 ने परिवादी का मोबाईल रिसीव नहीं किया तथा थोडी देर बाद ही आरोपिता ने स्वयं अपने मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि मैं थोडी देर बाद ही आपको पुलिस थाने के बाहर मुख्य सडक पर मिल जाउंगी आप वहां पर आ जावें। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता को कार्यालय के वॉइस रेकार्डर मे दर्ज की गई। परिवादी व आरोपिता के मध्य वार्ता के अनुसार परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर परिवादी की पत्नि श्रीमती माधुरी को चालु कर सुरक्षित हालत मे रखवाया गया तथा आवश्यक हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय आपके व आरोपिता के मध्य हुई वार्ता को तसल्ली पूर्वक दर्ज करें तथा परिवादी व उसकी पत्नि को उनकी स्वयं की मोटरसाईकिल से आरोपिता के बताए अनुसार पुलिस थाना श्रीनगर के बाहर मुख्य सडक की ओर रवाना किया गया तथा कार्यालय के स्टाफ को भी आवश्यक हिदायत प्रदान कर आस–पास ही उपस्थित रहकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान के मुख्य सडक श्रीनगर पर मुकीम रहकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे खडे रहे। समय करीब एक घण्टे से अधिक व्यतीत होने के उपरान्त भी आरोपिता सुशीला महिला कानि0 उपस्थित नहीं आयी। जिस पर पुनः परिवादी व उसकी पत्नि को ईशारा कर मुख्य सडक से दूर सुनसान स्थान पर ले जाकर आरोपिता से पुनः वार्ता करायी गई तो आरोपिता ने मोबाईल रिसीव नहीं किया। जिस पर परिवादी को पुनः हिदायत देकर निर्धारित स्थान पर आरोपिता के बताएनुसार पूर्वानुसार ही मुकीम रखा तथा उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ के पूर्वानुसार मुकीम रहे। कुछ देर बाद परिवादी श्री राकेश सोनी व उनकी पत्नि श्रीमती माधुरी बिना ईशारे किए ही मुख्य सडक से रवाना होकर किशनगढ की ओर रवाना होते हुए दिखायी दिए। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ भी परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुए तथा सिलोरा पुलिया के पास पहुचकर परिवादी को ईशारा कर रूकवाया गया तथा उससे पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपिता का मैरे मोबाईल पर फोन आया तो उसने बताया कि मै थाने पर हूॅ तथा आप रूपये मेरे मिलने वाले व्यक्ति को दे दो, मै आपके पास उसको भिजवा रही हूॅ। जिस पर मेने उसको मना कर दिया, कि शाम का समय अधिक हो चुका हूॅ। आप आओ तो मै आपको रूपये दे सकता हूॅ, अन्यथा मैं जा रहा हूॅ। आईन्दा वार्ता कर आपके उपस्थित आने पर ही आपको रूपये दे दूंगा। उक्त वार्ता परिवादी ने अपने स्वयं के मोबाईल से होना अवगत करायी तथा उक्त वार्ता अपनी पत्नि से दूर रहकर की गई। जिस पर परिवादी व आरोपिता के मध्य हुई उक्त वार्ता कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मे दर्ज नहीं हो सकी, समस्त तथ्य परिवादी ने मौखिक रूप से अवगत कराये। इस पर परिवादी को पुनः आरोपिता से वार्ता करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी ने आरोपिता के मोबाईल पर वार्ता करनी चाही परन्तु आरोपिता ने मोबाईल रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद आरोपिता सुशीला महिला कानि0 ने स्वतः ही अपने मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर फोन किया। जिस पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर दोनो के मध्य की गई वार्ता को रेकार्ड किया गया वार्ता के अनुसार आरोपिता सुशीला महिला कानि0 ने बताया कि वह श्याम रेस्टोरेन्ट सिलोरा बायपास स्थित होटल पर पहुच रही है तथा परिवादी को वहा उपस्थित रहने के लिए कहा गया। परिवादी व आरोपिता के मध्य हुई वार्ता के अनुसार परिवादी को रिश्वत

राशि सहित व उसकी पत्नि श्रीमती माधुरी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चालु कर सुरक्षित सम्भालकर वार्ता दर्ज करने की समझाईश कर पुनः रिश्वत राशि देने हेतु वार्तानुसार नियत स्थान श्याम रेस्टोरेन्ट श्रीनगर की ओर रवाना किया गया तथा उसके पीछे–पीछे उप अधीक्षक पुलिस व हमराहियान स्टाफ भी होटल के आस–पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम रहे तथा परिवादी के ईशारे के इन्तजार मे खडे रहे। कुछ समय बाद परिवादी श्री राकेश सोनी व उनकी पत्नि श्रीमती माधुरी बिना ईशारे किए ही श्याम होटल से मुख्य सडक की ओर रवाना होते हुए दिखाई दिए। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ भी परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुए तथा सिलोरा पुलिया के नीचे पहुचकर परिवादी को ईशारा कर रूकवाया गया तथा उनसे पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपिता का ईन्तजार करने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं आई तथा अचानक ही पुलिस थाना श्रीनगर की गाडी होटल पर आई। जिसे देखकर मै घबरा गया तथा मुझे अन्देशा हुआ कि कही यह मुझे पुनः गिरफ्तार नहीं कर ले। उक्त सम्भावना को देखते हुए मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए श्याम होटल से रवाना हो गया तथा मुझे महसूस हुआ कि कही आरोपिता सुशीला महिला कानि0 ने षडयन्त्र रचकर पुलिस वालो को भिजवाया हो तथा वह स्वयं उपस्थित नहीं आई। अब रात्रि का समय अधिक होने एवं करीब छः माह का छोटा बच्चा व पत्नि साथ होने से एवं हल्की सर्दी भी होने से अब ट्रेप कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि आरोपिता भी वार्ता के अनुसार उपस्थित नहीं आ रही है। अतः रिश्वत राशि का आदान–प्रदान आईन्दा किया जाना उचित होगा तथा पुलिस की गाडी आने से उसमे बैठे हुए सभी पुलिसकर्मी मुझे व मेरी पत्नि को पहचानते है। क्योंकि मै वहा पर दो दिन हवालात मे बंद रहा था। जिससे पहचान होने पर रिश्वत राशि का आदान–प्रदान सम्भव नहीं है। परिवादी व आरोपिता के मध्य हुई वार्ता व मौके पर परिवादी द्वारा बताई गई अपनी पत्नि व बच्चे की परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुए आज रिश्वत राशि का आदान–प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से परिवादी के बताए अनुसार आईन्दा आरोपिता से वार्ता कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेंगी। परिवादी की पत्नि को पूर्व मे सुपुर्दशुदा वॉइस रेकार्डर सुरक्षित हालत मे प्राप्त कर उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा तथा उसमे दर्ज आरोपिता व परिवादी के मध्य हुई वार्ता की फर्द ट्रांस्किप्ट उपरोक्तानुसार पृथक से परिवादी व गवाहान के समक्ष तैयार की जावेंगी। परिवादी को आरोपिता सुशीला महिला कानि0 को दी जाने वाली रिश्वत राशि गवाह श्री गौरव शर्मा से सुरक्षित निकलवाई जाकर एक कागज के लिफाफे मे रखवाई जाकर परिवादी को स्वयं की मोटरसाईकिल से तथा उसकी पत्नि व बच्चे को कार्यालय के सरकारी वाहन मे बैठाकर परिवादी को आवश्यक समझाईश कर कार्यालय मे पहुचने के निर्देश देकर रवाना कर उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान, रिश्वत राशि मय वॉइस रेकार्डर, मय ट्रेप बॉक्स के कार्यालय के लिए रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय स्पेशल यूनिट–अजमेर पहुचा। कुछ समय बाद परिवादी भी अपनी मोटरसाईकिल से कार्यालय मे उपस्थित आया। परिवादी व उसकी पत्नि श्रीमती माधुरी को आवश्यक हिदायत प्रदान की गई कि आरोपिता से वार्ता होने पर तुरन्त ही उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करने बाबत अवगत करावें, ताकि रिश्वत राशि आदान–प्रदान की कार्यवाही की जा सकें। बाद आवश्यक समझाईश के परिवादी व उसकी पत्नि को रूख्स्त किया गया तथा उप अधीक्षक पुलिस द्वारा हमराहियान स्टाफ व गवाहान को भी आवश्यक हिदायत प्रदान कर रूख्स्त किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि के लिफाफे व वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित उप अधीक्षक पुलिस की आलमारी मे सुरक्षित रखी गयी। दिनांक 21.10.22 को परिवादी श्री राकेश सोनी व उसकी पत्नि श्रीमती माधुरी अपने बच्चे सहित कार्यालय मे उपस्थित आए। जिन्होने उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आरोपिता बार–बार मेरे मोबाईल पर फोन कर रही है, परन्तु मैंने उसका मोबाईल रिसीव नहीं किया है। सम्भवतया आरोपिता रिश्वत राशि लेने के सन्दर्भ मे ही मुझसे बात करना चाहती है। आरोपिता के बार–बार फोन करने से यह प्रतीत होता है कि आरोपिता से आज रिश्वत राशि का आदान–प्रदान किया जा सकता है। जिस पर गवाहान को जरिए दूरभाष तलब किया गया। कुछ समय बाद तलबशुदा गवाहान कार्यालय मे उपस्थित आए। आरोपिता को रिश्वत राशि दिए जाने हेतु दिनांक 20.10.22 को रखवायी गई रिश्वत राशि को कार्यालय के श्री सन्देश कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई जिंस पेन्ट की दाहिनी जेब मे अन्य कुछ भी शेष नहीं छोडते हुए रखवायी जाकर उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ श्रीमती कंचन भाटी निरीक्षक पुलिस, श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश कुमार हैड कानि., श्री गोविन्द वर्मा हैड कानि0, श्री लखन कानि., श्री भरत सिह कानि., श्री अर्जुन कानि0, श्री हुकमाराम कानि0, श्री दामोदर कानि0 व स्वतन्त्र गवाह श्री गौरव शर्मा व सुश्री किरण कंवर एवं परिवादी श्री राकेश सोनी को वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी व उसकी पत्नि श्रीमती माधुरी को परिवादी की मोटरसाईकिल से तथा कार्यालय के श्री मनीष कुमार चालक के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर व वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के बाद आवश्यक हिदायत के पुलिस थाना श्रीनगर, अजमेर की ओर रवाना हुए तथा श्री सन्देश चौधरी कनिष्ठ सहायक को कार्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान कर पुलिस थाना

श्रीनगर के थोडा नजदीक पहुचे। जहा परिवादी व उसकी पत्नि मोटरसाईकिल से आते हुए नजर आए, जिनको ईशारे से रूकवाया जाकर साईड मे ले जाकर परिवादी के मोबाईल से आरोपिता के मोबाईल पर वार्ता करायी जाकर दोनो के मध्य हुई वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉइस रेकार्डर मे रेकार्ड किया गया। परिवादी व आरोपिता के मध्य हुई वार्ता के अनुसार आरोपिता ने रिश्वत राशि अपने परीचित व्यक्ति को देने हेतु बताया। परन्तु परिवादी श्री राकेश सोनी ने रिश्वत राशि स्वयं आरोपिता को देने के लिए कहा, तो आरोपिता ने होटल श्याम पर आने की हां भरी तथा वार्ता के दौरान बताया कि उक्त रिश्वत राशि आप मेरे परिचित को दे दो, आपको इसमे कोई तकलीफ नहीं होगी तथा आईन्दा वार्ता करने की मना कर दिया। वार्ता के अंशो को डिजीटल वॉइस रेकार्डर मे दर्ज मैमोरी कार्ड को चालु कर सुना गया तो मौके पर परिवादी द्वारा बताए तथ्यों की ताईद हुई। आरोपिता द्वारा रिश्वत राशि लेने हेतु होटल श्याम रेस्टोरेन्ट पर आने के लिए बताया है। अतः परिवादी को रिश्वत राशि व कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर श्रीमती माधुरी को चालु कर होटल श्याम की ओर रवाना किया गया तथा परिवादी को रिश्वत राशि देने के उपरान्त निर्धारित ईशारे से अवगत कराया गया। उप अधीक्षक पुलिस व हमराहियान स्टाफ व गवाहान के होटल के आस–पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे खडे रहे। समय करीब 02.15 पीएम तक आरोपिता के होटल श्याम रेस्टोरेन्ट पर आने का इन्तजार करते रहे, परन्तु आरोपिता उपस्थित नहीं आई। परिवादी से रिश्वत राशि लेन–देन के बाबत आरोपिता के बारे मे जानकारी ली गई तो उसने बताया कि आरोपिता आज उपस्थित नहीं आई है, सम्भवतया आरोपिता डयूटी मे व्यस्त होने से आने मे आना–कानी कर रही थी एवं मेरे साथ मेरी पत्नि व छोटा बच्चा होने की वजह से मोटरसाईकिल पर सफर करने के दौरान बच्चे की तबीयत नरम है। अतः आरोपिता के उपस्थित नहीं आने की वजह से रिश्वत राशि का आदान–प्रदान नहीं हो सकने बाबत बताया। आरोपिता को रिश्वत राशि लेन–देन के सम्बन्ध मे बार–बार टेलीफोन किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है, जरिए दूरभाष ज्यादा सम्पर्क से आरोपिता को कार्यवाही के बारे मे अंदेशा होने का भय होने से आईन्दा आरोपिता के टेलीफोन आने एवं रिश्वत के सम्बन्ध मे वार्ता करने पर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। परिवादी श्री राकेश सोनी द्वारा मौके पर गवाहान के समक्ष बताये गए तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही आईन्दा आरोपिता से सम्पर्क होने पर अमल मे लायी जावेंगी। परिवादी व आरोपिता के मध्य हुई वार्ता व मौके पर परिवादी द्वारा बतायी गई अपनी पत्नि व बच्चे की परिस्थिति मध्यनजर रखते हुए आज रिश्वत राशि का आदान–प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से परिवादी की पत्नि को पूर्व मे सुपुर्दशुदा वॉइस रेकार्डर सुरक्षित हालत मे प्राप्त किया। परिवादी को आरोपिता सुशीला महिला कानि0 को दी जाने वाली रिश्वत राशि गवाह श्री गौरव शर्मा से सुरक्षित निकलवायी जाकर एक कागज के लिफाफे मे रखवाई जाकर परिवादी को स्वयं की मोटरसाईकिल से तथा उसकी पत्नि व बच्चे को कार्यालय के सरकारी वाहन में बैठाकर परिवादी को आवश्यक समझाईश कर कार्यालय मे पहुचने के निर्देश देकर रवाना कर उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान, रिश्वत राशि मय वॉइस रेकार्डर मय ट्रेप बॉक्स के कार्यालय के लिए रवाना ब्यूरो कार्यालय स्पेशल यूनिट अजमेर वापस आए। जहा कार्यालय के श्री अर्जुन राम कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व दिनांक 20.10.22 व दिनांक 21.10.22 की दर्ज वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट शब्द व शब्द तैयार की गई। फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से 2 सीडियॉ तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सिल्ड कर न्यायालय हेतु तथा एक सीडी को पृथक कपड़े की थैली में सिल्ड कर आरोपी हेतु तैयार की गयी एवं अन्य शेष दूसरी सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित मालखाना रखा गया तथा कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई सीडी को शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी व उसकी पत्नि श्रीमती माधुरी को आवश्यक हिदायत प्रदान की गई कि आरोपिता से वार्ता होने के उपरान्त उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करें, ताकि रिश्वत राशि आदान–प्रदान की कार्यवाही की जा सकें। बाद आवश्यक समझाईश के परिवादी व उसकी पत्नि एवं गवाहान को रूख्स्त किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि के लिफाफे व वॉइस रेकार्डर को सुरक्षित मन् उप अधीक्षक पुलिस की आलमारी मे सुरक्षित रखी गयी। दिनांक 23.11.2022 की प्रातः परिवादी श्री राकेश सोनी व उसकी पत्नि श्रीमती माधुरी अपने बच्चे सहित कार्यालय मे उपस्थित आए। परिवादी ने उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि करीब एक माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आरोपिता महिला कानि0 ने मेरे से रिश्वत राशि प्राप्ति हेतु सम्पर्क नहीं किया है एवं मेरे द्वारा सम्पर्क करने की कोशिश करने पर मेरा मोबाईल फोन नहीं उठा रही है। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के मोबाईल से आरोपिता के मोबाईल पर वार्ता करानी चाही तो उसके नम्बर को आरोपिता ने रिसीव नहीं किया। परिवादी ने

स्वतः ही अवगत कराया कि सम्भवतया आरोपिता को एसीबी कार्यवाही के बारे मे प्रतिदिन दैनिक अखबार मे छपी खबरो से भनक होने की सम्भावना हो सकती है तथा एसीबी के भय से वह अब रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करना चाहती है। अतः अब ट्रेप कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं है। चूंकि रिश्वत राशि लेन–देन की कार्यवाही सम्भव नहीं होने से परिवादी ने उप अधीक्षक पुलिस को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिश्वत राशि लौटाने हेतु निवेदन किया। जिस पर नियमानुसार प्रस्तुतशुदा राशि के पावडर लगे नोटो को बदलवाकर रिश्वत राशि परिवादी को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही से आरोपिता श्रीमती सुशीला महिला कानि0 पुलिस थाना श्रीनगर जिला अजमेर द्वारा लोकसेवक के पद पर पदस्थापित रहकर अपने पद का दुरूपयोग कर वैद्य पारीश्रमिक भत्ते के अतिरिक्त परिवादी श्री राकेश सोनी से उसके विरूद्ध झूंठा मुकदमा दर्ज करने एवं छोडने की एवज मे परिवादी से दिनांक 20.10.22 को 5,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग करते हुए 3,000 रू0 लेने की मांग किया जाना रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 20.10.22 व 21.10.22 से की जाने से आरोपिता श्रीमती सुशीला महिला कानि0 पुलिस थाना श्रीनगर जिला अजमेर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया जाता है। अतः आरोपिता श्रीमती सुशीला महिला कानि0 पुलिस थाना श्रीनगर, जिला अजमेर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान् महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(संग्राम सिंह भाटी)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
स्पेशल यूनिट–अजमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संग्राम सिंह भाटी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्रीमती सुशीला महिला कानि0 नं0 3050, पुलिस थाना श्रीनगर, जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 494/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः 4188-91 दिनांक 28.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।

28.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।